न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, शिव

(पीठासीन अधिकारी श्री यक्ष चौधरी, IAS)

अन्तर्गत धारा 88 RT Act.

राजस्व वाद संख्या 129 / 2022

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
1. जुनेश खान पुत्र अते मोहमद, 2. कमालखां पि. अते मोहमद, जाति मुसलमान साकिन मदों की ढाणी तहसील गिडा जिला बाडमेर।		1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार शिव 2. अमरेखां पि. गुलाबखां, 3. नीभाभखां पि. अतेमोहमद, 4. रजाकखां पि. अते मोहमद 5. शेरूखां पि. अमे मोहमद, 6. कमलदीन पि. अब्दुल गफार, 7. मुजमलअली पि. अब्दुलगफार, 8. लालदीन पि. अब्दुलगफार 9. समसुदीन पि. अब्दुल गफार 10. हकीमों पत्नी अब्दुल गफार, जाति मुसलमान साकिन मदों की ढाणी तहसील गिडा 11. कुम्भाराम पि. प्रभुराम जाति सोनी निवासी उण्डु तहसील शिव जिला बाडमेर 12. चुन्नीलाल पुत्र मूलाराम कौम सोनी निवासी उण्डु तहसील शिव जिला बाडमेर 13. पंजीब नेशनल बैंक शाखा उण्डु 14. आई.सी.आई.सी.आई. बैंक शाखा कानासर

उपस्थित :— 1. वादी अधिवक्ता — बृजमोहन कुमावत।

निर्णय

दिनांक : 19.03.2025

संक्षेप में वादीगण के वाद के तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 2 से 12 की संयुक्त खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 1018 / 536 रकबा 3.7231 हैक्टयर व खसरा नम्बर 1016 / 536 रकबा 2.9137 हैक्टयर मौजा उण्डु, तहसील शिव में अवस्थित है। वादीगण अपने हिस्सानुसार उक्त भूमि पर काबिज होकर काश्त करता आ रहा है। उक्त वादग्रस्त आराजी वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 02 से 05 के पिता के देहान्त होने पर विरासत के रूप में प्राप्त हुई है। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 02 से 05 के पिता के देहान्त का विासती नामान्तकरण अन्य सहखातेदारों द्वारा भरवाया गया। जिसमें वादी संख्या 1 का नाम राजस्व रेकर्ड में जुनेशखान पुत्र अतेमोहमद के स्थान पर मुनेषखां पुत्र अतेमोहमद गलत दर्ज करवा दिया गया तथा मौजा उण्डु के खेत खसरा नम्बर 1018 / 536 रकबा 3.7231 हैक्टयर में वादी संख्या 2 कमालखां पुत्र अतेमोहमद के स्थान पर कमलाखां पुत्र अतेमोहमद गलत दर्ज करवा दिया। जबकि वादी संख्या 01 के आधारकार्ड, राशनकार्ड, जोबकार्ड, बैंक खाता पासबुक वगैरह में वादी का सही नाम जुनेशखान पुत्र अतेमोहमद लिखा हुआ है। अतः उक्त वादग्रस्त भूमि में वादी का सही नाम मुनेषखां पुत्र अतेमोहमद की जगह जुनेशखान पुत्र अते मोहमद दर्ज किया जावे। इस प्र[illegible] में अशुद्ध प्रविष्टि का अंकन होने से वह अपने हिस्से की भूमि के वि[illegible] हेतु सरकारी योजना[illegible] का लाभ नहीं ले पा रहा है। अतः वादी द्वारा वादग्रस्त भूमि के रेकर्ड में दर्ज मुनेषखां पुत्र अतेमोह[illegible] जगह जुनेशखान पुत्र अते मोहमद व मौजा उण्डु के खेत खसरा नम्बर 1018 / 536 रकबा 3.7231 है[illegible]र में वादी संख्या 2 का ना[illegible]लखां पुत्र अतेमोहमद घोषित करवाने एंव इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में दर्ज करवाने हेतु यह वाद प्रस्तुत किया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Yaksh Chaudhary
Date: 2025.07.23 13:47:49 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(SDO) शिव

Scanned with OKEN Scanner

वाद पंजीयन किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 2 से 10 ने जरिये अधिवक्ता उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत कर वादपत्र के तथ्यों की ताइद करते हुए वादी का शुद्ध नाम जुनेशखान पुत्र अते मोहमद व कमालखां पुत्र अतेमोहमद घोषित किये जाने में अपनी सहमति व्यक्त की गई। वादीगण की ओर से अपने वाद के समर्थन में स्वयं वादी जुनेशखान पीडब्ल्यू 1 के बयान गवाह शपथपत्र प्रस्तुत किया।

दौरान बहस अधिवक्ता वादी द्वारा अपने वाद के तथ्यों को दोहराते हुए वादग्रस्त भूमि के रिकार्ड में शेष समस्त प्रविष्टियां यथावत रखते हुए वादी संख्या 01 मुनेषखां पुत्र अते मोहमद की जगह वास्तविक नाम जुनेशखान पुत्र अते मोहमद होना घोषित करने एवं वादी संख्या 02 की ईस्तदुआ तर्क करते हुए तद्नुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करने के आदेश पारित करने हेतु निवेदन किया गया।

हमने उभयपक्ष वकील की बहस पर मनन तथा पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया। वादी संख्या 01 द्वारा प्रस्तुत उसके राजस्व रिकार्ड के अतिरिक्त अन्य समस्त दस्तावेजात में उसका नाम जुनेशखान दर्ज है, किंतु उसके पिता की फौतगी पर दायर नामांतरकरणों में उसका नाम मुनेषखां दर्ज होने से राजस्व रेकर्ड में इसी अनुसार अमलदरामद हुआ। वादी के अन्य समस्त दस्तावेजात एवं उसके अन्य समस्त सहखातेदारान् के जवाब से भी उसका नाम जुनेशखान होना साबित है। ऐसी स्थिति में वादग्रस्त भूमि के राजस्व रेकर्ड में मुनेषखां के स्थान पर वादी का वास्तविक नाम जुनेशखान दर्ज किये जाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।

लिहाजा वादी का वाद स्वीकार किया जाकर खसरा नम्बर 1018/536 रकबा 3.7231 हैक्टयर व खसरा नम्बर 1016/536 रकबा 2.9137 हैक्टयर मौजा उण्डु, तहसील शिव के राजस्व रेकर्ड की शेष प्रविष्टियां यथावत रखते हुए वादी संख्या 01 का नाम मुनेषखान के स्थान पर जुनेशखान होना घोषित किया जाता है। तहसीलदार शिव को इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद सुनिश्चित करने के आदेश किये जाते है। बैंक रहन इस निर्णय से अप्रभावी रहेगा। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

सहायक कलक्टर
(SDO) शिव

सहायक कलक्टर
(SDO) शिव

निर्णय आज दिनांक 19.03.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(SDO) शिव

सहायक कलक्टर
(SDO) शिव

Signature Not Verified

Digitally signed by Yaksh Chaudhary
Date: 2025.07.23 13:47:49 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner